

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 06.11.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कर्नैलगंज पुलिस ने 01, थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना खोडारें पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ओमप्रकाश पुत्र रामदेव निवासी ग्राम मद्दो देवरिया थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 186/22 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना धानेपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती शिवकुमारी पत्नी पाटनदीन निवासी ग्राम बरईनपुरवा मौजा नौव्वागांव थाना धानेपुर जनपद गोण्डा से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 278/22 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.11.2022

अवैध स्मैक/हेरोईन के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर सोनीगुमटी रेलवे क्रासिंग के पास से अभियुक्त तिलक राम मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 06 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोईन बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. तिलक राम मिश्रा पुत्र सीताराम मिश्रा निवासी बेहड़ा चौबे थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-788/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 06 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोईन।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि0 अंकुर वर्मा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.11.2022

दहेज हत्या के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0-330/22, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01. दीपक सिंह 02. सूरज सिंह 03. श्रीमती सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्तगण द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करते हुए हत्या किया गया था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

01. दीपक सिंह पुत्र कलहंस बहादुर सिंह निवासी पायरखास थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. सूरज सिंह पुत्र कलहंस बहादुर सिंह निवासी पायरखास थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. श्रीमती सुमन सिंह पत्नी कलहंस बहादुर सिंह निवासी पायरखास थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-330/22, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0बृजेश कुमार गुप्ता मय टीम